

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन, 06, सोमवार, शाके 1948- सितम्बर 28, 2026 Asvina 06 , Monday, Saka 1948- September 28, 2026	

भाग 6 (ख)

**जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 19, 2026

**(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,
2013**

(2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 4 की उप-धारा(1))

संख्या पं.2(1)नविवि/मैट्रो/2022/01138 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, जिसे एतस्मिन् पश्चात उक्त अधिनियम, 2013 के नाम से निर्देशित किया जायेगा, के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016, जिसे एतस्मिन् पश्चात उक्त नियम, 2016 के नाम से निर्देशित किया जायेगा, के प्रावधानानुसार **राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जयपुर मेट्रो फेज-II (प्रहलादपुरा-टोडी मोड़ कॉरिडोर) का निर्माण किया जाना है।**

उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील सांगानेर, जयपुर एवं रामपुरा डाबड़ी, जिला-जयपुर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम
1	जयपुर	सांगानेर	मथुरावाला उर्फ राजपुरा, मानपुरा नांगलिया, बीलवा कलां, बड़ी का बास, सीतारामपुरा उर्फ सीतापुरा, सुखपुरा, श्योपुर, बम्बाला, सांगानेर, खोखावास, सूरजपुरा घाटी, दुर्गापुरा, चैनपुरा, सवाई गेटोर
2	जयपुर	जयपुर	मानपुरा देहरी (मीनावाला), रामपुरा रूपा, भोजपुरा, भवानी शंकरपुरा, किशनपोल, हथरोई, बस्सी सीतारामपुरा, बीड सरकारी, महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा

3	जयपुर	रामपुरा डाबडी	हरमाड़ा, नींदड़, उदपुरिया
---	-------	---------------	---------------------------

यह अधिसूचना जारी कर उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं उक्त नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं उक्त नियम, 2016 के नियम 6 के उप-नियम (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु **नोडल अधिकारी, (कम्पनी मामलात) राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर** को अधिकृत किया जाता है।

उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु **सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय, जयपुर** को अधिकृत किया जाता है।

उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक राजकाज रेफरेन्स नम्बर 23351868 दिनांक 10.07.2026 के अन्तर्गत **भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय, जयपुर** होंगे।

सामाजिक समाघात निर्धारण उक्त नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित क्षेत्र में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।
5. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे सम्बन्ध है, को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जाँच के लिए बोर करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
6. उक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक विनिर्दिष्ट भूमि का सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर-तृतीय, जयपुर की अनुमति के बिना कोई

संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

नोडल अधिकारी, (कम्पनी मामलात) राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

पीडीकोर लिमिटेड, जयपुर

पता:- प्रथम तल, पी.टी.आई. बिल्डिंग, 5-B, झालाना इन्स्टीट्यूसनल ऐरिया,

जयपुर-302004

कमलेश शर्मा, मोबाईल : 9799899347

गौरधन राम, मोबाईल : 7597668808

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव- प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।